1/35189/2022

अनुभाग अधिकारी/Deputy ...
2/VCS/135
दिनांक/Date : 23/05/2022
V... Vice Chancellor's Secretary
विश्वभारती/Visva-Bharati

S. Sachin
23/05/22.

संख्या:I/35189/XIII-3/2022/02(09)/2021

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक: 13 मई, 2022

विषय: विश्व–भारती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना हेतु जनपद नैनीताल के रामगढ़ में गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली में स्थित टैगोर टॉप में उद्यान विभाग के स्वामित्व की 44.46 है0 बंजर एवं खाली भूमि विश्व–भारती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र–1022/XXIV–C–1/2021–01(14)2020, दिनांक–30 दिसम्बर, 2021 के कम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व–भारती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना हेतु जनपद नैनीताल के रामगढ़ में गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली में स्थित टैगोर टॉप में उद्यान विभाग के स्वामित्व की 44.46 है0 बंजर एवं खाली भूमि विश्व–भारती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय को निःशुल्क हस्तान्तरित किये के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–260/ वि0अनु–03/2002, दिनांक 15.02.2002 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. भूमि का हस्तान्तरण निःशुल्क किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. यदि भूमि रक्षित वन भूमि हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि को कोई हानि नही कराई जायेगी।
3. दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
4. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो अथवा 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग मे नही लाई जाती है तो उसे मूल विभाग में वापस करना होगा।
5. हस्तान्तरित भूमि को प्रस्तावित कार्य के इतर किसी भी प्रयोग में लाये जाने पर भूमि आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

Signed by Dr Ram Bilas Yadav
Date: 13-05-2022 13:22:16

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव